


FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीहवाना-कुचामन राजस्थान
बल्लाराम पुत्र धीसाराम जाति जाट सा. लिचाणा तह. नावां
बनाम राज. सरकार जरिये प्रतिनिधि तहशीलदार सा. नावां तह. नावां

किस्म मुकदमा : 88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 165/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुआ
02.05.2024	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री जग्गाराम ने यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता हैं। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 22.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां </p>	
22/5/24	<p>अधिवक्ता वादी उप०। तलबी पेश कते दि० दि० 10/6/24 की पेश हो</p>	
10/6/24	<p>उपपक्ष उप०। तहशीलदार प्रतिवादी ने जवाब पेश किया जो शामिल भिन्नता ही पत्रावली वाले बहाल दि० 14/6/24 की पेश हो</p>	
14/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी उप०। बहाल पुनी गई पत्रावली वाले आदेश दि० 24/6/24 की पेश हो</p>	
24/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई निविप हक से लिखाण अकत से इजलास पुनापा गया पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाविकत कप्त हो</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी नावां (डीहवाना-कुचामन) </p>	